

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2441 / Aligarh/13877/UP-135/2015, अलीगढ़: दिनांक: दिसम्बर, 27, 2019

सेवामें,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0-FP/UP/Others/13877/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1178/11-सी-FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 11.12.2019

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.no.	Objection	Reply
1	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन नहीं किया गया है।	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाईल मय DGPS map के संलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-6 व 7 के क्रम में 100 पौधों का प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित संलग्न करें व धनराशि ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर फीड करें।	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-6 व 7 के क्रम में 100 पौधों का प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है व धनराशि ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर फीड की गयी है।
3	उल्लंघन किये जाने पर बिन्दु सं0- (i) व (ii) के क्रम में परियोजना एस्सार ऑयल है, इसलिए 20% नहीं लागू होगा। अतः संशोधित दण्डात्मक गणना संलग्न करें।	उल्लंघन किये जाने पर बिन्दु सं0- (i) व (ii) के क्रम में परियोजना में दण्डात्मक गणना में 20% छूट का प्राविधान न करके, संशोधित पेनल्टी की गणना संलग्न कर प्रेषित है।
4	H2-Case Compound नहीं किया गया है, अतः H2-Case Compound कर सत्यापित कराकर, प्रस्ताव में संलग्न करें।	H2-Case Compound कर सत्यापित कराकर, प्रस्ताव में Receipt सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2441 / दिनांकित।

प्रतिलिपि: डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।